

6-4-17

अभावली पेश हुई, समय पक्ष उपस्थित  
न्यायालय अधिकारी का पेशा होने  
के कारण है / अन्य कारणों से।  
अभावली सामान्य पक्ष  
को पेश हो

15-6-17

माह 12  
रीट

सब डिविजन आफिसर

10-6-17 पणवली आज राजस्थान लोक कलाकार  
शिविर मुकाम वरण में पेश हुई।  
प्राथी अनुप। अधिवक्ता विपक्षी वक्ता  
केम्प उपर। पणवली का अध्ययन व  
परिक्षण किया गया। अधिवक्ता प्राथी  
द्वारा आदेशिका डि 3-2-15 से  
न्यायालय को विपक्षी क्र 1, 2 के  
साथ 2 वर्ष पूर्व पेश हो जाने से  
अवगत कराया जाना अंकित है, किन्तु  
प्राथी पक्ष की ओर से प्रमाण के  
विपक्षी क्र 1, 2 के वैध प्रतिनिधी को  
प्रमाण के रिकार्ड पर धिष्ट जाने  
बाबत प्रमाण 0-22, R-4 CPC  
जब तक प्रस्तुत नहीं कराया गया  
है जिससे प्रमाण को जारी चलाये  
जाना सम्भव नहीं है।  
अतः प्राथी का प्रमाण प्राथी की  
गैर अनुपालना में खारिज किये  
जाने के आदेश पारित किये जाते  
हैं।

की. व

21

FORM No. III  
फर्ड अहकाम  
(नियम 26)

अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....नं.....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पठवली नगर से काग की जाफ्त फैसल शुमार ई</p> 	